FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

...धीसा पुत्र हजारी जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी सिरोंज तहसील अराई,जिला अजमेर राजस्थान वगै.।

प्रार्थीगण

बनाम

2 कैलाश पुत्र छीतर जाति जाट निवासी सिरोंज तहसील अराई,जिला अजमेर राजस्थान वगै.

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा:– अन्तर्गत धारा 251 (क) राज.का.अधि.1955

प्रकरण नंबर 67 /2021

ऑनलाइन नंबर 2021 / 72

वकील प्रार्थी:–इन्द्रेश जी ,भवानी जी

वकील अप्रार्थीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.09.2021	यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री इन्द्रेश जी ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राज.का .अधि 1955के तहत् पेश किया। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 01.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	
01.10.2021	पत्रावली पेश हो। वकील वादी उप०/अप्रार्थी सं. 1 लगायत 23 के तामिलशुदा नोटिस शामिल मिसल। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 22 की ओर से वकील श्री रामेश्वर लाल चौधरी ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 11/10/2021 को पेश हो।	

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०।
तहसीलदार फलाई की गांव जांच रिपोर्ट
प्राप्त हुई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी।
निर्णय पृथक से तैयार कर उद्घोषित पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल दाखिल दफ्तर
नम्बर से खारिज हो।
Sd/-

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम(अराई) अजमेर

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

वाद क्रमांक 67/2021

1. घीसा पुत्र हजारी, जाति जाट, आयु लगभग 60 बर्ष,
2. पांचू पुत्र नारायण, जाति जाट, आयु लगभग 47 वर्ष,
3. रामदयाल पुत्र सोनी, जाति जाट, आयु लगभग 37 वर्ष,
4 हरजी देवी पत्नी सोनी, जाति जाट, आयु लगभग 60 वर्ष,
5. धापू पत्नी स्व. श्री श्योदयाल, जाति जाट, आयु 35 वर्ष, सर्व निवासीगण ग्राम सिरोंज, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान ।
6.अव्यस्क रेखा पुत्री स्व. श्री श्योदयाल, जाति जाट, आयु 16 वर्ष,
7 अव्यस्क अभिषेक पुत्र स्व. श्री श्योदयाल, जाति जाट, आयु 7 वर्ष,
8. अव्यस्क ममता पुत्री स्व. श्री श्योदयाल, जाति जाट, आयु 14 वर्ष,
9. अव्यस्क पूजा पुत्री स्व. श्री श्योदयाल, जाति जाट, आयु 12 वर्ष, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता धापू पत्नी स्व. श्री श्योदयाल, जाति जाट, निवासिन ग्राम सिरोंज, तहसील अराई, जिला अजमेर,

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र छीतर, जाति जाट,
2 काना पुत्र हरजी, जाति जाट,
3. किशनलाल पुत्र उगमा, जाति जाट,
4. किशनी पत्नी स्व. श्री अमरा जाति जाट,
5. छोटू पुत्र लाला, जाति जाट,
6. धारा पुत्री स्व. अमरा, जाति जाट,
7.नारायण पुत्र मोती, जाति जाट,
8. निरमा देवी पुत्री स्व अमरा, जाति जाट
9.बद्री पुत्र हरजी, जाति जाट,
10. भूरी पत्नी स्व. श्री गोपी, जाति जाट.
11. मुकेश पुत्र स्व. अमरा, जाति जाट.
12 मन्ना पुत्र हीरा, जाति जाट,
13.मोहन पुत्र उगमा, जाति जाट,
14. रामधन पुत्र मोती, जाति जाट,
15: रामस्वरूप पुत्र अमरा, जाति जाट,
16. रामी देवी पत्नी लाला, जाति जाट,
17. रोडू पुत्र हीरा, जाति जाट,
18. लाली पत्नी कुनण, जाति जाट,
19. श्रवण पुत्र उगमा, जाति जाट,
20. सुमेर पुत्र छीतर, जाति जाट,
21. सुरज्ञान पुत्री स्व. अमरा, जाति जाट,
22. सरदार पुत्र उगमा, जाति जाट, सर्व निवासीगण ग्राम सिरोंज, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान ।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई, जिला अजमेर, राज०

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक: 22/8/25

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार, भवानीसिंह

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार भवानीसिंह के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थी संख्या 1 से 4 तथा श्योदयाल पुत्र नारायण ग्राम सिरोंज के खसरा संख्या 415 रकबा 0.5097 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय के सह खातेदार, काबिज, काश्तकार थे। उपरोक्त श्योदयाल पुत्र नारायण का दिनांक 11.12.2017 को देहावसान हो चुका है एवं प्रार्थी संख्या 5 उनकी ब्याहता पत्नी होकर प्रार्थी संख्या 6 लगायत 9 उनकी अव्यस्क सन्तान हैं तथा प्रार्थी संख्या 6 लगायत 9 का हित प्रार्थी संख्या 5 प्राकृतिक संरक्षिका माता हैं। श्योदयाल पुत्र नारायण के प्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 के अतिरिक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अधीन अन्य कोई वारिस नही है। वाद वर्णित भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 22 के अधिकार, मिलकीयत की खसरा संख्या 416 रकबा 0.1699 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय हैं तथा उपरोक्त भूमि में मांगी पत्नी मोती 1/32 हिस्से की सह खातेदार हैं जिसका देहावसान हो चुका हैं एवं अप्रार्थी संख्या 7 नारायण पुत्र मोती एवं अप्रार्थी संख्या 14 रामधन पुत्र मोती उनके हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस, उत्तराधिकारी होकर उनके हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। वाद वर्णित प्रार्थीगण की खसरा संख्या 415 के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 416 की भूमि है एवं खसरा संख्या 416 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1399/400 गै०मु० खलिहान होकर खसरा संख्या 1999/400 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1402/400 गै०मु० रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होकर खसरा संख्या 1402/400 पर पक्की डामर की मुख्य सडक हैं। उपरोक्त प्रार्थी की खसरा संख्या 415 के लगती हुयी पहुंच के लिये कोई भी रास्ता, सडक उपलब्ध नही है। पूर्व दिशा में खसरा संख्या 414. पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 402. दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 414 की भूमि है। जिसे फर्द दस्तावेज संलग्न मानचित्र में चिन्हित किया गया है। खसरा संख्या 1399/400 गै०मु० खलिहान की भूमि रास्तें से सटी होकर सार्वजनिक होने से उपरोक्त भूमि के दक्षिण–पूर्व दिशा के खातेदारान स्वयं की भूमि के आवागमन के लिये प्रयोग करते हैं। जिसमें कोई विवाद नही हैं, किन्तु अप्रार्थीगण ने हाल ही में उपरोक्त खसरा संख्या 416 के पश्चिम सींव से जो प्रार्थीगण आवागमन करते थे में जबरन अवरोध कर आवागमन के रास्तें को बन्द कर दिया हैं। जिससे प्रार्थीगण की खसरा संख्या 415 के आवागमन का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। प्रार्थीगण के पास स्वयं की खसरा संख्या 415 के पहुंच के लिये अन्य कोई वैकल्पिक निकटतम लघुत्तम युक्तियुक्त व सुविधाजनक रास्ता नही हैं तथा प्रथम दृष्टयां ही उपरोक्त खसरा संख्या 416 के पश्चिम सींव से दक्षिण से उत्तर जिसे संलग्न परिशिष्ट 1 मे लाल रंग से (क) से (ख) के मध्य चिन्हित रास्ता बताया गया है वह ही लघुत्तम व निकटतम होना प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे उपयोग उपभोग हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की भूमि में से 30 फुट के रास्ते की आवश्यकता है इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर से राशि जमा कराने को तत्पर एवं तैयार है। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि में स्थित जोत के उपयोग उपभोग कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से अधिकतम सीमा तक रास्ते हेतु निवेदन किया है ।

2. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस रास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 01.10.2021 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 10.7.2025 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि ग्राम सिरोंज के खसरा नं0 415 में आवागमन हेतु ख0नं0 416 में से होते हुए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है । 20 फीट रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि 0.0488 हैक्टेयर है तथा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से निर्वापित राशि 25864/– रूपये है जिसकी दुगुना राशि 51728/– अक्षरे इकयावन हजार सात सो अठाइस रूपये होगी । वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है । हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें हैः–

—: आदेश :—

3. प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम सिरोंज के खसरा नं0 415 में आवागमन के लिये में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि कृषि ग्राम सिरोंज के खसरा नं0 415 में आवागमन ख0नं0 416, से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2025/4130दिनांक 10.7.2025 के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार निर्वापित राशि 25864/— रूपये है जिसकी दुगुना राशि 51728/— अक्षरे इकयावन हजार सात सो अठाइस रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443—00—103—00—00 प्रतिभूति जमा की जायेगी ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम सिरोंज के खसरा नं0 415 में आवागमन के लिये में से रास्ते हेतु भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की वर्तमान वर्तमान डीएलसी दर से निर्वापित राशि 25864/— रूपये है जिसकी दुगुना राशि 51728/— अक्षरे इकयावन हजार सात सो अठाइस रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443—00—103—00—00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0488 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा 51728/— अक्षरे इकयावन हजार सात सो अठाइस रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0488 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)